Excise Duty on V-Belt Produced in Cottage Industry

9993. SHRI R. V BADE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether Tariff No T.A. 16A(4) cover the item V-belt;

(b) whether this Tariff cover such rubber products as are produced by Cottage Industries which do not have vulcanising plants and therefore cannot 'treat rubber with sulphur at high temperatures',

(c) whether in the absence of specific clarification in this regard, Cottage Industries producing V-belts by binding rubber and convass with hand, are being required to pay duty at the rate of 25 per cent which is being charged from big industries like Dunlop and Goodyear, and

(d) what are the full facts in this regard and the steps being taken to save the Cottage Industries which produce V-belts etc without vulcanisation plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE ((SHRI K R GANESH)· (a) Yes, Sir

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir The correct rate of excise duty leviable on V-belts is 20 per cent *ad valorem* irrespective of the section of the Industry by which it is manufactured In addition auxiliary excise duty at the rate of 20 per cent of the basic duty is also leviable.

(d) V-belts manufactured without the aid of vulcanising plant and without using any power are liable to duty. Some small scale manufacturers have, however, represented for relief from central excise duty The question whether any relief to such units in the small scale sector is warranted is being examined.

वस्तुओं की चोर-बाजारी रोकने के लिए कार्यवाही

9994. श्री चन्द्रभान चन्द्राकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने चोर बाजारी और तस्करी को रोकने, मिलावट दूर करने तथा वितरण प्रणाली मे सुधार के लिए समय समय पर जो सुझाव दिये थे, उस पर सरकार ने अमल नही किया है;

(ख) क्या इसी कारण सरकार अथवा निर्माताओ से निर्धारित मूल्य पर कोई भी सामान उपभोक्ताओ को प्राप्त नही हो रहा है, और

(ग) निश्चित आय वाले वर्ग की दयनीय स्थिति के बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) से (ग) भारत सरकार को आपरेटिव आल इंडिया रिटेल प्राइसिस लेबल "विषयक भारतीय उपभोक्ता परिषद् की सर्वेक्षण रिपोर्ट से अवगत है जिस मे अन्य बातो के साथ साथ उचित कीमत की दुकानो के माध्यम से बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओ की प्राप्यता और क्वालिटी का उल्लेख किया गया है ।

आवश्यक वस्तुओं के अभाव और ऊची कीमतो के बारे मे देश के विभिन्न भागो से रिपोर्ट प्राप्त हुई है । अंशत इसका कारण चोरबाजारी हो सकता है , फिर भी इस मे अन्य अनेक बातो का भी योगदान है ।

जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं का वितरण मुख्यत राज्य सरकारे करती है राज्य सरकारो का यह काम अवश्यक है कि वे इस प्रकार की वस्तुओ की यथा सभव सीमा तक प्राप्यता सुनिश्चित करे ।

मुनाफाखोरो और चोरबाजारी करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पहले से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 मे उपबन्ध मौजूद है और इस अधिनियम के अधीन शक्तिया राज्य सरकारो ,संघ शासित क्षेत्रो को भी प्रत्यायोजित की गई हैं । भारत